LATEST EDITION

INFUSION NOTES
WHEN ONLY THE BEST WILL DO

राजस्थान पटवार

राजस्थान अधीनस्थ और मंत्रिस्तरीय सेवा चयन बोर्ड (RSMSSB)

HANDWRITTEN NOTES

भाग-5

संविधान एवं राजनीतिक व्यवस्था (भारत + राजस्थान)

INFUSION NOTES

WHEN ONLY THE BEST WILL DO

राजस्थान पटवार

राजस्थान अधीनस्थ और मंत्रिस्तरीय सेवा चयन बोर्ड (RSMSSB)

भाग – 5

संविधान एवं राजनीतिक व्यवस्था

(भारत + राजस्थान)

प्रस्तावना

प्रिय पाठकों, प्रस्तुत नोट्स ***"राजस्थान पटवारी नोट्स"*** *को एक विभिन्न अपने - अपने विषयों में निपुण अध्यापकों एवं सहकर्मियों की टीम के द्वारा तैयार किया गया है। ये नोट्स पाठकों को* ***राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड (RSMSSB)*** *द्वारा आयोजित करायी जाने वाली परीक्षा* ***"राजस्थान पटवारी भर्ती परीक्षा – 2023*** *में पूर्ण संभव मदद करेंगे ।*

अंततः सतर्क प्रयासों के बावजूद नोट्स मे कुछ कमियों तथा त्रुटियों के रहने की संभावना हो सकती है। अतः आप सूची पाठकों का सुझाव सादर आमंत्रित हैं।

प्रकाशकः

INFUSION NOTES

जयपुर, 302029 (RAJASTHAN)

मो : 9887809083

ईमेल : contact@infusionnotes.com

वेबसाइट : https://www.infusionnotes.com

Whatsapp करें - https://wa.link/0yupe6

Online Order करें - https://shorturl.at/pwFNP

मूल्य : (₹)

संस्करण : नवीनतम (2023)

भारतीय संविधान

क्र.सं.	अध्याय	पेज नंबर
1.	संविधान सभा एवं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि	1
2.	भारतीय संविधान की विशेषताएँ	10
3.	संविधान संशोधन	14
4.	उद्देशिका (प्रस्तावना) एक्स्ट्रा टॉपिक • संघ एवं इसका क्षेत्र • नागरिकता	21
5.	मौलिक अधिकार	28
6.	नीति निदेशक तत्व	38
7.	मूल कर्तव्य	42
8.	राष्ट्रपति • उपराष्ट्रपति	48
9.	प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद्	70
10.	भारतीय संसद	77
11.	उच्चतम न्यायालय और न्यायिक पुनरावलोकन	88

12.	निर्वाचन आयोग	95
13.	नियंत्रक एवं (अनुच्छेद – 148 -151) महालेखा परीक्षक	100
14.	नीति आयोग	102
15.	केंद्रीय सतर्कता आयोग	105
16.	लोकपाल	110
17.	केंद्रीय सूचना आयोग	113
18.	राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग	117
19.	भारत में लोकतान्त्रिक राजनीति	119
20.	गठबंधन सरकारें -	123
21.	राष्ट्रीय एकीकरण एक्स्ट्रा टॉपिक • लोक सेवा आयोग	128
	राजस्थान की राजव्यवस्था	
1.	राज्य की राजनीतिक व्यवस्था (परिचय)	143
2.	राज्यपाल	144
3.	मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद	152
4.	राज्य विधान मण्डल व विधानसभा	160
5.	उच्च न्यायालय	169
6.	जिला प्रशासन	176
7.	स्थानीय स्वशासन एवं पंचायती राज संस्था	181

8.	राजस्थान लोक सेवा आयोग	190
9.	राज्य मानवाधिकार आयोग	193
10.	लोकायुक्त	196
11.	राज्य निर्वाचन आयोग	199
12.	राज्य सूचना आयोग	201
13.	राजस्थान राज्य महिला आयोग	203
14.	लोकनीति	205

भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947

- इसने भारत में ब्रिटिश राज को समाप्त कर दिया, 15 अगस्त 1947 को इसे स्वतंत्र एवं सम्प्रभु राष्ट्र घोषित कर दिया ।
- इसने भारत का विभाजन कर दो स्वतंत्र राष्ट्र भारत और पाकिस्तान का सृजन किया।
- इस कानून ने ब्रिटेन में भारत सचिव का पद समाप्त कर दिया ।
- **इसने 15 अगस्त 1947 से भारतीय रियासतों पर ब्रिटिश संप्रभु को समाप्ति की घोषणा की ।**
- इसने शाही उपाधि से 'भारत का सम्राट' शब्द समाप्त कर दिया।

अंतरिम सरकार

जवाहर लाल नेहरू - स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल (1947)

सरदार वल्लभभाई पटेल - गृह, सूचना एवं प्रसारण
डॉ. राजेन्द्र प्रसाद - खाद्य एवं कृषि
जॉन मथाई - उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति
जगजीवन राम - श्रम
सरदार बलदेव सिंह - रक्षा
सी. एच. भाभा - कार्य, खान एवं उर्जा
लियाकत अली खां - वित्त
अब्दुर रख निश्तार - डाक एवं वायु
आसफ अली - रेलवे एवं परिवहन
सी. राजगोपालाचारी - शिक्षा एवं कला
आई. आई. चुंदरीगर - वाणिज्य
गजनफर अली खान - स्वास्थ्य
जोगेंद्र नाथ मंडल - विधि

स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमण्डल (1947)

जवाहर लाल नेहरू	- प्रधानमंत्री, राष्ट्रमण्डल तथा विदेशी मामलों
सरदार वल्लभभाई पटेल	- गृह, सुचना एवं प्रसारण, राज्यों के मामले
डॉ. राजेन्द्र प्रसाद	- खाद्य एवं कृषि
मौलाना अबुल कलाम आजाद	- शिक्षा
डॉ. जॉन मथाई	- रेलवे एवं परिवहन
आर. के. षणमुगम शेट्टी	- वित्त
डॉ. बी. आर. अंबेडकर	- विधि
जगजीवन राम	- श्रम
सरदार बलदेव सिंह	- रक्षा
राजकुमारी अमृत कौर	- स्वास्थ्य
सी. एच. भाभा	- वाणिज्य
रफी अहमद किटवई	- संचार
डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी	- उद्योग एवं आपूर्ति
वी. एन. गाडगिल	- कार्य, खान एवं ऊर्जा

संविधान सभा

- भारत में **संविधान सभा** के गठन का विचार वर्ष **1934 में पहली बार एम० एन. रॉय ने रखा ।**
- 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार भारत के संविधान निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की ।
- 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की स्वतंत्र भारत के **संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा किया जायेगा** । नेहरू की इस मांग को ब्रिटिश सरकार ने सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया। इसे **1940 के अगस्त प्रस्ताव** के रूप में जाना जाता है।
- **क्रिप्स मिशन 1942 में भारत** आया ।

क्रिप्स मिशन

- लॉर्ड **सर पैथिक लारेंस** (अध्यक्ष)
- ए. वी. अलेक्जेंडर
- सर स्टेफोर्ड क्रिप्स
- कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत किए गए सुझावों के अनुसार **नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ** । मिशन की योजना के अनुसार संविधान सभा का स्वरूप निम्नलिखित प्रकार का होना था –
- सविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या 389 होनी थी । इनमें से 296 सीटें ब्रिटिश भारत के प्रांतों को और 93 सीटें देसी रियासतों को दी जानी थी ।

- हर ब्रिटिश प्रांत एवं देसी रियासत को उसकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें दी जानी थी | आमतौर पर प्रत्येक 10 लाख लोगों पर एक सीट का आवंटन होना था |
- प्रत्येक ब्रिटिश प्रांत को दी गई सीटों का निर्धारण तीन प्रमुख समुदायों के मध्य उनकी जनसंख्या के अनुपात में किया जाना था | यह तीन समुदाय थे :- मुस्लिम, सिख व सामान्य (मुस्लिम और सिख को छोड़कर) |
- प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधियों का चुनाव प्रांतीय असेंबली में उस समुदाय के ***सदस्यों द्वारा एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था*** के अनुसार किया जाना था |
- देसी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन चुनाव द्वारा नहीं, बल्कि रियासत के प्रमुखो द्वारा किया जाना था |

स्पष्ट है कि संविधान सभा आंशिक रूप से चुनी हुई और आंशिक रूप से निम्नांकित सभा थी |

उपरोक्त योजना के अनुसार ब्रिटिश भारत के लिए आवंटित 296 सीटों के लिए चुनाव जुलाई-अगस्त 1946 में संपन्न हुए | इस चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73 तथा छोटे दलों व निर्दलीय सदस्यों को 15 सीटें मिली | देसी रियासतों को आवंटित की गई 93 सीटें नहीं भर पाए क्योंकि उन्होंने खुद को संविधान सभा से अलग रखने का निर्णय ले लिया था |

आक्षेप किया जा सकता है कि संविधान सभा का चुनाव भारत के वयस्क मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं हुआ था | तब भी यह जानना महत्त्वपूर्ण है कि इसमें प्रत्येक समुदाय :- हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, आंग्ल भारतीय, भारतीय ईसाई, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों को स्थान प्राप्त हुआ था | इसमें पुरुषों के साथ पर्याप्त संख्या में महिलाएँ भी थी | महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना को छोड़ दे तो सभा में उस समय के भारत के सभी प्रसिद्ध व्यक्तित्व शामिल थे |

<u>उद्देश्य प्रस्ताव</u> :-

संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को वर्तमान संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में हुई | मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया और अलग पाकिस्तान की मांग उठाई | सभा के सबसे ***वरिष्ठ सदस्य डॉ सच्चिदानंद सिन्हा*** को सभा का ***अस्थाई अध्यक्ष बनाया गया | 2 दिन*** पश्चात ***11 दिसंबर 1946 को डॉ राजेंद्र प्रसाद को*** सभा का ***स्थाई अध्यक्ष बनाया*** गया, जो 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा स्वीकृत किया गया|

संक्षेप में इस प्रस्ताव की मुख्य बातें निम्नलिखित थी :-

- भारत को एक स्वतंत्र तथा संप्रभु गणराज्य के रूप में स्थापित किया जाए |
- भारत की संप्रभुता का स्रोत भारत की जनता होगी|
- इस गणराज्य में भारत के समस्त नागरिकों को राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक समानता प्राप्त होगी|
- भारत के समस्त नागरिक को विचार, अभिव्यक्ति,संस्था बनाने,कोई व्यवसाय करने,किसी भी धर्म को मानने या न मानने कि स्वतंत्रता होगी|
- अल्पसंख्यकों,अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों के हितों की सुरक्षा के लिए उपयुक्त उपाय किए जाएंगे |
- देश की एकता को स्थायित्व प्रदान किया जाएगा |
- भारत की प्राचीन सभ्यता को उसका उचित स्थान व अधिकार दिलाया जाएगा तथा विश्व शांति व मानव कल्याण में उसका योगदान सुनिश्चित किया जाएगा|

इस प्रकार उद्देश्य प्रस्ताव उन भावनाओं व इच्छाओं का सूचक था, जिसकी उपलब्धि के लिए भारतवासी पिछले कई वर्षों से संघर्ष कर रहे थे | यही उद्देश्य प्रस्ताव संविधान की 'प्रस्तावना' का आधार बना और इसी ने संपूर्ण संविधान के दर्शन को मूर्त रूप प्रदान किया |

<u>संविधान सभा की कार्य प्रणाली</u>

अस्थायी अध्यक्ष	-	सच्चिदानन्द सिन्हा
अध्यक्ष	-	डॉ. राजेन्द्र प्रसाद
उपाध्यक्ष	-	डॉ. एच. सी मुखर्जी, वी.टी. कृष्णामाचारी

❖ 13 दिसम्बर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया।

<u>संविधान सभा के अन्य कार्य</u>

- मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता |
- 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया |
- 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अपनाया |
- 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत को अपनाया |
- ***24 जनवरी 1950 को राजेन्द्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति चुनना |***
- 2वर्ष 11 माह 18 दिन में कुल 11 बैठके हुई, लगभग 60 देशों का संविधान का अवलोकन, इसके प्रारूप पर 114 दिन तक विचार हुआ कुल खर्च 64 लाख रुपया आया |
- 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अन्तिम बैठक हुई|

<u>संविधान सभा की समितियां</u>

संघ शक्ति समिति	पं . जवाहरलाल नेहरू
संघीय संविधान समिति	पं जवाहरलाल नेहरू
प्रांतीय संविधान समिति	सरदार वल्लभ भाई पटेल
प्रारूप समिति	डॉ. बी. आर. अंबेडकर
मौलिक अधिकारी, अल्पसंख्यको एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत	सरदार पटेल

क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति	
प्रक्रिया नियम समिति	डॉ. राजेंद्र प्रसाद
राज्यों के लिए समिति	जवाहरलाल नेहरु
संचालन समिति	डॉ. राजेन्द्र प्रसाद

प्रारूप समिति

अंबेडकर (अध्यक्ष)
एन गोपालस्वामी आयंगार
अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर
डॉ. के.एम मुंशी
सैय्यद मोहमद सादुल्ला
एन. माधव राव (बी. एल. मित्रा की जगह)
टी.टी. कृष्णामाचारी (डी.पी खेतान की जगह)

- 4 नवम्बर 1948 को अंबेडकर ने सभा में संविधान का अन्तिम प्रारूप पेश किया गया । इस बार संविधान पहली बार पढ़ा गया ।
- संविधान सभा के 299 सदस्यों में से 284 लोगों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया।
- **26 नवम्बर 1949 को अपनाए गये संविधान में प्रस्तावना, 395 अनुच्छेद व 8 अनुसुचियां थी।**

संविधान सभा में समुदाय आधारित प्रतिनिधित्व

1. हिन्दू = (163)
2. मुस्लिम = (80)
3. अनुसूचित जाति = (31)
4. भारतीय ईसाई = (6)
5. पिछड़ी जनजातियां = (6)
6. सिख = (4)
7. एंग्लो इंडियन = (3)
8. पारसी = (3)

भारत की संविधान सभा में राज्यवार सदस्यता

मद्रास	=	(49)
बॉम्बे (मुंबई)	=	(21)
पश्चिम बंगाल	=	(19)
संयुक्त प्रांत	=	(55)
पूर्वी पंजाब	=	(12)
बिहार	=	(36)
मध्य प्रांत एवं बेरार	=	(17)
असम	=	(8)
उड़ीसा	=	(9)
दिल्ली	=	(1)

- **संविधान सभा द्वारा हाथी का प्रतीक (मुहर) के रूप में अपनाया ।**
- सर वी. एन. राव संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था।

संविधान निर्माण से सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण व्यक्ति

एच. वी. आर अय्यंगार (सचिव)
एल.एन. मुखर्जी (चीफ ड्राफ्टमैन)
प्रेम बिहारी नारायण (सुलेखक)
मंदलाल बोस और विउहर (मूल संस्करण का सजावट और सौन्दर्यीकरण)

सारांश

- मुगल बादशाह शाह आलम ने 1764 में बक्सर की लड़ाई में विजय प्राप्त करने के बाद ईस्ट इंडिया कम्पनी को भारत में दीवानी अधिकार दिए।
- **इसे** ब्रिटिश संसद में तत्कालीन प्रधानमंत्री **विलियम** पिट्स द्वारा पुनः स्थापित किया गया।
- बजट की व्यवस्था को ब्रिटिश कालीन भारत में **1860** से शुरू किया गया।
- घोषणा ने स्थापित किया कि ब्रिटिश शासक की सरकार की नीति प्रशासन की प्रत्येक शाखा में भारतीयों की भागीदारी बढ़ाने और स्वशासन संस्थाओं का क्रमिक विकास करने की थी, ताकि ब्रिटिश साम्राज्य के आंतरिक भाग के रूप में भारत उत्तरदायी सरकार की प्रगतिशील प्राप्ति की जा सके।
- यह भारत में उच्च नागरिक सेवाओं (1923-24) पर ली आयोग की सिफारिशों पर किया गया।
- भारतीय स्वतंत्रता अध्यादेश को ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 को पेश किया गया और 18 जुलाई 1947 को इसे राजशाही की संस्तुति मिली।
- यह अधिनियम 15 अगस्त 1947 से लागू हुआ।
- दो राज्यों के बीच सीमाओं का निर्धारण रेडक्लिक की अध्यक्षता वाले सीमा आयोग ने किया। पाकिस्तान में पश्चिमी पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, पूर्वी बंगाल, उत्तर-पश्चिमी सीमांत क्षेत्र एवं असम का सिलहट जिला शामिल किया।
- ब्रिटिश सरकार के 3 जून 1947 के बयान का राजनीतिक परिणाम यह हुआ कि जनमत संग्रह का पालन करके उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और बलूचिस्तान पाकिस्तानी राज्य के भू-भाग का हिस्सा बन गए और नतीजन इस क्षेत्र के जनजातीय इलाके इसी राज्य या शासन के अंतर्गत आ गए ।

होने पर दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में विधेयक को पारित कराने का प्रावधान नहीं है।

- यदि विधेयक संविधान की संघीय व्यवस्था के संशोधन के मुद्दे पर हो तो इसे आधे राज्यों के विधानमंडलों से भी सामान्य बहुमत से पारित होना चाहिए। यह बहुमत सदन में उपस्थित सदस्यों के बीच मतदान के तहत् हो ।
- संसद के दोनों सदनों से पारित होने एवं राज्य विधानमंडलों की संस्तुति के बाद जहाँ आवश्यक हो, फिर राष्ट्रपति के पास सहमति के लिए भेजा जाता है।
- राष्ट्रपति विधेयक पर सहमति देगें । वे न तो विधेयक को अपने पास रख सकते हैं और न ही संसद के पास पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं।
- राष्ट्रपति की सहमति के बाद विधेयक एक अधिनियम बन जाता है (संविधान संशोधन अधिनियम) और संविधान में अधिनियम की तरह इसका समावेश कर लिया जाता है।
- संविधान संशोधन तीन प्रकार से (i) संसद के साधारण बहुमत द्वारा संशोधन (ii) संसद के विशेष बहुमत द्वारा संशोधन (iii) संसद के विशेष बहुमत द्वारा एवं आधे राज्य विधान मंडलों की संस्तुति के उपरांत संशोधन।
- 24 वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1971 ने राष्ट्रपति के लिए संविधान संशोधन विधेयक पर सहमति के लिए बाध्य बनाया ।
- अमेरिका में भी कांग्रेस (अमेरिकी विधायिका) द्वारा दो तिहाई राज्य विधानमंडलों की याचिका पर संवैधानिक सभा द्वारा संशोधन किया जा सकता है।

- **<u>अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न</u>**

1. भारत के संविधान का अनुच्छेद 368 संबंधित है-

A. संसद की संविधान संशोधन की शक्ति से
B. संविधान में संशोधन के लिए संसद द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया से
C. संसद में दो तिहाई बहुमत द्वारा तथा कम से कम दो तिहाई राज्यों द्वारा अनुसमर्थन
D. संसद के दोनों सदनों के दो तिहाई उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों द्वारा

उत्तर - C

2. एक संवैधानिक संशोधन को कम से कम आधे राज्यों की विधायिकाओं द्वारा एक संकल्प के द्वारा अनुसमर्थन भी कराना पड़ता है अगर इसका आशय किसी प्रकार का परिवर्तन करना है -

A. मौलिक अधिकारों में
B. नीति निर्देशक सिद्धांतों में
C. मौलिक कर्तव्यों में
D. उच्च न्यायालय संबंधी प्रावधानों में

उत्तर - D

3. एक संविधान संशोधन जिसका उद्देश्य एक नये राज्य का सृजन है अवश्यमेव पारित होना चाहिए ।

A. संसद में साधारण बहुमत द्वारा
B. संसद में साधारण बहुमत द्वारा तथा कम से कम आधे राज्यों द्वारा अनुसमर्थन
C. संसद में दो-तिहाई बहुमत द्वारा तथा कम से कम दो-तिहाई राज्यों द्वारा अनुसमर्थन
D. संसद के दोनों सदनों के दो तिहाई उपस्थित एवं मतदान वाले सदस्यों द्वारा

4. संविधान के किस भाग और अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है?

A. भाग -I अनुक्रमांक -3
B. भाग VIII, अनुक्रमांक -239
C. मात्र - XVI, अनुक्रमांक- 336
D. भाग - XX, अनुक्रमांक - 368

उत्तर - D

5. भारतीय संविधान की कौनसी विशेषता दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है?

A. संसदीय प्रणाली
B. मूल अधिकार
C. संविधान संशोधन
D. मूल कर्तव्य

उत्तर - C

6. संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जाता है?

A. 2
B.3
C. 6
D. 9

उत्तर - B

7. संविधान संशोधन विधेयक सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया जाता है -

A. संसद में
B. लोकसभा
C. राज्यसभा
D. विधानमंडल

उत्तर - A

8. सिंधी भाषा को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा शामिल किया गया था?

A. 15 वाँ संशोधन
B. 21 वाँ संशोधन
C. 24 वाँ संशोधन
D. 31 वाँ संशोधन

उत्तर - C

उत्तर – c

5. 42 वें संविधान संशोधन द्वारा मूल कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिशों के बाद जोड़ा गया?

a. संथानम समिति
b. सरकरिया समिति
c. स्वर्ण सिंह समिति
d. इंदिरा गांधी नेहरू समिति

उत्तर – c

6. निम्नलिखित में से किस वर्ष मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया?

a. 1965 b. 1976
c. 1979 d. 1982

उत्तर -b

अध्याय – 8

राष्ट्रपति

- भारत में **'राष्ट्र प्रमुख'** के रूप में **राष्ट्रपति** के **पद की व्यवस्था** को अपनाया गया हैं। ब्रिटिश क्राउन और अमेरिकी राष्ट्रपति से भिन्न, संविधान निर्माताओं ने भारतीय व्यवस्था के अनुरूप इस पद के एक संतुलित स्वरूप को अपनाया। **गणतांत्रिक प्रणाली** होने के कारण संविधान में **'निर्वाचित राष्ट्रपति'** के प्रावधान को शामिल किया गया।

कार्यपालिका प्रमुख

- मंत्रिमंडलीय कार्यपालिका में सामान्यतः दो प्रमुख होते हैं: एक **'वास्तविक प्रमुख' एवं दूसरा 'नाममात्र या औपचारिक प्रमुख'। भारत में राष्ट्रपति नाममात्र प्रमुख हैं।** तथा राष्ट्रपति कार्यालय की प्रकृति काफी सीमा तक औपचारिक हैं।
- शासन व्यवस्था में औपचारिक प्रमुख की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से होती हैं:
- राष्ट्र प्रमुख के रूप में: **राष्ट्रपति देश की एकता, अखंड़ता एवं एकजुटता का प्रतीक हैं**। अतः व्यवहारिक रूप से राज्यप्रमुख न होते हुए भी भारतीय राष्ट्रपति को राष्ट्रप्रमुख की भूमिका प्रदान की गयी हैं।
- दलगत राजनीति से मुक्त रखने हेतु राष्ट्रपति कार्यालय को दलगत राजनीति से ऊपर माना जा सकता हैं।
- प्रशासन की निरंतरता हेतु- मंत्रिपरिषद् का कार्यकाल अनिश्चित होता हैं और यह लोकसभा में बहुमत पर निर्भर करता हैं। ऐसे में प्रशासन में निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए एक निश्चित कार्यकाल वाले कार्यालय का होना आवश्यक हैं।
- संघवादी स्वरूप को बनाए रखने हेतुः भारत के संदर्भ में एक अतिरिक्त कारण, संघवाद भी हैं। राज्य विधानसभाओं के सदस्य भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। इसलिए, यह कहा जा सकता हैं कि राष्ट्रपति संघ के अतिरिक्त राज्यों का भी प्रतिनिधित्व करता हैं।
- **संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 52 से 78 तक में संघ की कार्यपालिका का वर्णन हैं।**
- **अनुच्छेद 52 के अनुसार, भारत का एक राष्ट्रपति होगा।** यहाँ "होगा" शब्द के लिए "shall" का प्रयोग किया गया हैं, जिसका अर्थ हैं कि भारत का राष्ट्रपति अपने पद पर सदैव विधमान होगा। यह पद न तो कभी रिक्त रखा जा सकता हैं और न ही इसे कभी समाप्त किया जा सकता हैं। राष्ट्रपति का चुनाव, इसके कार्यकाल की समाप्ति से पहले ही संपन्न करवाए जाने का प्रावधान किया गया हैं। अस्वस्थता के कारण अस्थायी अनुपस्थिति आदि के मामले में उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति का पद धारण करेगा जब तक कि राष्ट्रपति अपना पदभार पुनर्ग्रहण न करें।

स्थायी कार्यपालिका एवं अस्थायी कार्यपालिका

अनुच्छेद 53 (1) के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा ।

विवरण

- *राष्ट्रपति, अपनी इस कार्यपालिकीय शक्ति का प्रयोग मुख्यतः दो प्रकार के अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करता है:*
- *स्थायी कार्यपालि या नौकरशाही*
- *अस्थायी या राजनीतिक कार्यपालिका*
- *स्थायी कार्यपालिका या नौकरशाही*
- *स्थायी कार्यपालिका के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाएँ (IAS, IPS, IFoS), प्रांतीय सेवाएँ] स्थानीय सरकार के कर्मचारी और लोक उपक्रमों के तकनीकी एवं प्रबंधकीय अधिकारी सम्मिलित होते हैं ।*
- *नौकरशाही अथवा स्थायी कार्यपालिका की आवश्यकता क्यों घ्*
- *संविधान निर्माता ब्रिटिश शासन के दौरान अपने अनुभव से गैर-राजनीतिक एवं व्यावसायिक रूप से दक्ष प्रशासनिक मशीनरी के महत्व को जानते थे ।*
- *नौकरशाही, वह माध्यम है जिसके द्वारा सरकार की लोकहितकारी नीतियाँ जनता तक पहुँचती हैं ।*
- *सरकार के स्थायी कर्मचारी के रूप में कार्य करने वाले ये प्रशिक्षित एवं प्रवीण अधिकारी, नीतियों को बनाने व उसे लागू करने में मंत्रियों का सहयोग करते हैं ।*
- *वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में नीति-निर्माण एक अत्यंत ही जटिल कार्य बन गया है जिसके लिए विशेषज्ञता एवं गहन ज्ञान की आवश्यकता है । इसके लिए दक्ष एवं स्थायी कार्यपालिका की आवश्यकता है ।*
- *राजनीतिक या अस्थायी कार्यपालिका का ध्यान सामान्यतः नीति-निर्माण एवं क्रियान्वयन में अल्पकालीन राजनीतिक लाभ पर केंद्रित होता है । जबकि, स्थायी कार्यपालिका दीर्घकालीन समाजिक - आर्थिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ही नीति-निर्माण एवं क्रियान्वयन में मंत्रियों को परामर्श देती है ।*
- *सरकारो के बदलने के बावजूद भी स्थायी कार्यपालिका, नीतियों में निरंतरता एवं लोकप्रशासन में एकरूपता बनाए रखने eas अपना महत्त्वपूर्ण योगदान देती है ।*
- *स्थायी कार्यपालिका एवं राजनीतिक कार्यपालिका के मध्य संबंध*
- *संसदीय शासन प्रणाली में, राजनीतिक कार्यपालिका (मंत्रीपरिषद्, प्रधानमंत्री सहित) सरकार के प्रभारी होते हैं एवं स्थायी कार्यपालिका या प्रशासन इनके नियंत्रण एवं देखरेख में होता है ।*
- *यह मंत्री की जिम्मेदारी है कि वह प्रशासन पर राजनीतिक नियंत्रण रखे ।*
- *राजनीतिक कार्यपालिका, जहाँ सामूहिक रूप से लोकसभा या विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, वहीं स्थायी कार्यपालिका या नौकरशाही अपने संबंधित विभागों के मंत्रियों के प्रति उत्तरदयी होती हैं ।*
- *नौकरशाही से यह अपेक्षा की जाती है कि यह राजनीतिक रूप से तटस्थ हो, अर्थात् नौकरशाही, नीतियों पर विचार करते समय किसी राजनीतिक दृष्टिकोण या विचारधार का समर्थन नहीं करेगी ।*
- *लोकतंत्र में सरकारों के बदलने पर नौकरशाही की जिम्मेदारी है कि वह नई सरकार को अपनी नीति बनाने एवं लागू करने में मदद करें ।*
- *हमारा संविधान राष्ट्रपति के पद का सृजन करता है किंतु शासन की प्रणाली राष्ट्रपतीय नहीं है । शासन की राष्ट्रपतीय और संसदीय प्रणाली को समझना एवं उनके भेद जानना आवश्यक है । राष्ट्रपति प्रणाली के मुख्य लक्षण इस प्रकार है:-*
- *राष्ट्रपति राज्य का अध्यक्ष होता है और साथ ही शासनाध्यक्ष भी । वह राज्य व्यवस्था मंे शीर्षस्थ होता है । वह वास्तव में कार्यपालक होता है, नाममात्र का नहीं । उसमें जो शक्तियाँ निहित हैं उनका वह व्यवहार में और वास्तव में उपयोग करता है ।*
- *सभी कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होती हैं । राष्ट्रपति }द्वारा नियुक्त मंत्रिमंड़ल उसे केवल सलाह देता है यह आवश्यक नही है कि वह उनकी सलाह माने । वह उनकी सलाह लेकर अपने विवेक के अनुसार कार्य कर सकता है ।*
- *राष्ट्रपति जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है । राष्ट्रपति के पद की अवधि विधान-मंड़ल की इच्छा पर आश्रित नहीं है । विधान-मंड़ल न तो राष्ट्रपति का निर्वाचन करता है और न उसे उसके पद से हटा सकता है ।*
- *राष्ट्रपति और मंत्रिमंड़ल के सदस्य, विधान मंड़ल के सदस्य नहीं होते हैं । राष्ट्रपति विधान-मंड़ल की अवधि के अवसान के पूर्व उसका विघटन नहीं कर सकता । **विधान-मंड़ल राष्ट्रपति की पदावधि को महाभियोग द्वारा ही समाप्त कर सकता है अन्यथा नहीं** । इस प्रकार राष्ट्रपति और विधान-मंड़ल नियत अवधि के लिए निर्वाचित होते हैं और एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं । एक का दुसरे में हस्तक्षेप नहीं होता।*

<u>राष्ट्रपति पद के लिए अर्हताएँ</u>

अनु. 58 के अनुसार *राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए एक व्यक्ति को निम्नलिखित अर्हताओं को पूर्ण करना आवश्यक है:*

- *वह भरत का नागरिक हो ।*
- *वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हों ।*
- *वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के योग्य हों।*

संविधान निर्माताओं द्वारा, निम्नलिखित आधारों पर अप्रत्यक्ष चुनाव का समर्थन किया गया:

- भारत जैसे देश में विस्तृत निर्वाचक मंड़ल द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव से समय, ऊर्जा और धन का अत्यधिक अपव्यय होगा ।
- संविधान द्वारा प्रदत्त उत्तरदायी सरकार की प्रणाली के तहत वास्तविक शक्ति मंत्रिमंड़ल में निहित होगी । अतः प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित राष्ट्रपति को वास्तविक शक्तियाँ न देना, एक अव्यवस्था होगी ।
- संविधान सभा के कुछ सदस्यों ने सुझाव दिया था कि राष्ट्रपति का चुनाव केवल संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों द्वारा होना चाहिए । संविधान निर्माताओं ने इसे प्राथमिकता नहीं दी क्योंकि संसद में एक दल का बहुमत होता हैं, जो निश्चित तौर पर उसी दल के उम्मीदवार को चुनेगा और ऐसा राष्ट्रपति भारत के सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता । वहीं दूसरी तरफ, वर्तमान व्यवस्था में राष्ट्रपति संघ तथा सभी राज्यों का समान प्रतिनिधित्व करता हैं ।
- इसके अतिरिक्त, संविधान सभा में यह कहा गया कि राष्ट्रपति के चुनाव में 'आनुपातिक प्रतिनिधित्व' शब्द का प्रयोग गलत हैं । आनुपातिक प्रतिनिधित्व का प्रयोग दो अथवा अधिक व्यक्तियों के निर्वाचन (बहुसदस्यीय निर्वाचन) हेतु होता हैं । राष्ट्रपति के मामले में, पद केवल एक ही हैं । बेहतर होता कि इसे प्राथमिक अथवा वैकल्पिक व्यवस्था कहा जाता । इसी प्रकार 'एकल संक्रमणीय मत' के अर्थ की इस आधार पर आलोचना की गई कि किसी भी मतदाता का मत एकल न होकर बहुसंख्यक होता हैं ।

राष्ट्रपति के पद के लिए अन्य शर्तें

- राष्ट्रपति को संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य विधायिका का सदस्य होना चाहिए । इसका तात्पर्य यह हैं कि यदि ऐसा कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित होता हैं तो यह समझा जाएगा कि उसने उस सदन में अपना स्थान राष्ट्रपति के रूप में अपने पद ग्रहण की तारीख से रिक्त कर दिया हैं ।
- राष्ट्रपति कोई अन्य लाभ का पद धारण नहीं करेगा ।
- राष्ट्रपति, बिना किराया दिए अपने शासकीय निवासों के उपयोग का हकदार होगा ।
- राष्ट्रपति की परिलब्धियाँ और भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किये जायेंगे ।

रिक्तता की स्थिति :-

राष्ट्रपति के पद पर कौन कार्य करेगा ?

पाँच वर्षीय कार्यकाल की समाप्ति

कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व चुनाव करवा लेना आवश्यक हैं । यदि चुनाव में किसी कारण कोई देरी हो तो वर्तमान राष्ट्रपति अपने पद पर बना रहेगा, जब तक कि उसका उत्तराधिकारी कार्यभार ग्रहण ना कर लें ।

उसकी मृत्यु होने पर उपराष्ट्रपति, द्वारा नए राष्ट्रपति के निर्वाचित होने तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा । चुनाव, पद रिक्त होने की तिथि से छह महीने के भीतर हो जाना चाहिए ।

उसके त्याग पत्र द्वारा	• उपराष्ट्रपति नए राष्ट्रपति के निर्वाचित होने तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा । चुनाव पद रिक्त होने की तिथि से छः महीने के भीतर हो जाना चाहिए ।
महाभियोग द्वारा उसे पद से हटाने पर	• उपराष्ट्रपति नए राष्ट्रपति के निर्वाचित होने तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा । चुनाव पद रिक्त होने की तिथि से छः महीने के भीतर हो जाना चाहिए ।
यदि वह पद धारण करने के लिए अयोग्य घोषित हो गया हो	• उपराष्ट्रपति, नए राष्ट्रपति के निर्वाचित होने तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा । चुनाव, पद रिक्त होने की तिथि से छः महीने के भीतर हो जाना चाहिए।
अस्वस्थता या भारत में अनुपस्थिति पर	• उपराष्ट्रपति उसके पुनः पद ग्रहण करने तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा ।
रिक्तता की स्थिति	• राष्ट्रपति के पद पर कौन कार्य करेगा ?
पाँच वर्षीय कार्यकाल की समाप्ति	• कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व चुनाव करवा लेना आवश्यक हैं । यदि चुनाव में किसी कारण कोई देरी हो तो वर्तमान राष्ट्रपति अपने पद पर बना रहेगा, जब तक कि उसका उत्तराधिकारी कार्यभार ग्रहण ना कर लें ।
उसकी मृत्यु द्वारा	• उपराष्ट्रपति, नए राष्ट्रपति के निर्वाचित होने तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा । चुनाव, पद रिक्त होने की तिथि से छह महीने के भीतर हो जाना चाहिए ।

नोटः- यदि उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो भारत का मुख्य न्यायाधीश (अथवा उसका भी पद रिक्त होने पर उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश) कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा ।

राष्ट्रपति डा. जाकिर हुसैन की मृत्यु की वजह से पद रिक्त होने के कारण राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहे उप राष्ट्रपति श्री वी.वी. गिरि ने जब 1969 में उप राष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दे दिया, तब भारत के मुख्य न्यायाधीश श्री एम. हिदायतुल्ला ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया ।

राष्ट्रपति पर महाभियोग (अनु. 61)

- **महाभियोग संसद मे संपन्न होने वाली एक अर्द्ध-न्यायिक प्रक्रिया हैं । राष्ट्रपति को 'संविधान का अतिक्रमण' करने पर उसके पद से महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता हैं ।** हालाँकि संविधान, 'संविधान का अतिक्रमण' वाक्यांश के अर्थ को परिभाषित नहीं करता ।
- राष्ट्रपति के विरुद्ध संविधान के अतिक्रमण का आरोप संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता हैं । एक सदन द्वारा इस प्रकार का आरोप लगाए जाने पर दूसरा सदन उस आरोप का अन्वेषण करेगा ।
- राष्ट्रपति के विरुद्ध आरोप संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किए जा सकते हैं । आरोप एक प्रस्ताव के रूप में होगा प्रस्ताव को सदन में लाने हेतु सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम एक चौथाई सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए । इस हेतु 14 दिनों की अग्रिम सूचना देना आवश्यक हैं । प्रस्ताव उस सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम दो तिहाई बहुमत से पारित किया जाना चाहिए ।
- जब एक सदन द्वारा इस प्रकार आरोप लगाया जाता हैं तो दूसरे सदन द्वारा उसका अन्वेषण करेगा । राष्ट्रपति को ऐसे अन्वेषण में उपस्थिति होने का तथा अपना प्रतिनिधित्व करवाने का अधिकार होगा, अर्थात् राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में कोई अधिवक्ता या अन्य व्यक्ति उपस्थिति हो सकता हैं । सदन अन्वेषण का काम किसी न्यायालय या अधिकरण को प्रत्यायोजित कर सकता हैं । यदि अन्वेषण के पश्चात् सदन दो तिहाई बहुमत से प्रस्ताव पारित करके यह घोषित कर देता हैं कि आरोप सिद्ध हो गया हैं तो ऐसे प्रस्ताव का प्रभाव उसके पारित किए जाने की तारीख से राष्ट्रपति को उसने पद से हटाना होगा ।

  अमेरीका में सीनेट को महाभियोग के विचारण का अधिकार हैं, कांग्रेस को नहीं । विचारण की अध्यक्षता उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति करता हैं । हटाए जाने का प्रस्ताव विचारण में उपस्थिति सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से पारित होता हैं ।
- चूँकि संविधान राष्ट्रपति को हटाने का आधार और तरीका प्रदान करता हैं, अतः अनुच्छेद 56 और 61 की शर्तों के अनुरूप महाभियोग के अतिरिक्त उसे और किसी भी तरीके से नहीं हटाया जा सकता हैं।

- **स्पष्टीकरण**
- **'महाभियोग' इतना असाधारण शब्द हैं कि इसको गलत समझा जा सकता हैं । एक सामान्य गलत अवधारणा यह हैं कि इसे 'पद से जबरन हटाना' समझा जाता हैं ।**
- **'महाभियोग'** शब्द **ब्रिटिश परम्परा** से उत्पन्न हुआ हैं, जिसका अर्थ किसी सरकारी अधिकारी को बिना किसी सरकारी अनुबंध के तथा महाभियोग द्वारा दोषसिद्ध हो जाने पर उसके पद से हटाना हैं । **भारत में, यह एक अर्द्ध-न्यायिक प्रक्रिया** हैं और केवल राष्ट्रपति को संविधान के अतिक्रमण के आधार पर महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता हैं ।
- संसद के दोनों सदनों के नामांकित सदस्य जिन्होंने राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लिया था, महाभियोग में भाग ले सकते हैं ।
- राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य तथा दिल्ली और पुदुचेरी केन्द्रशासित प्रदेश के विधानसभाओं के सदस्य महाभियोग प्रस्ताव में भाग नहीं लेते हैं, भले ही उन्होंने राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लिया था ।
- **अभी तक भारत में किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं चलाया गया हैं ।**

राष्ट्रपति की शक्तियाँ एवं कर्तव्य

❖ संविधान के अनुसार, संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित हैं । **''कार्यपालिका शक्ति'' मुख्य रूप से विधानमंडल द्वारा पारित कानूनों के क्रियान्वयन को दर्शाता हैं ।** राज्य के कार्यों में अत्यधिक विस्तार होने के कारण, सभी अवशिष्ट कार्यों को व्यावहारिक रूप से कार्यपालिका के हाथों में सौंप दिया गया हैं । कार्यपालिका शक्ति को संक्षिप्त रूप में, उन मामलों को छोड़कर जिसके लिए संविधान ने किसी और को अधिकृत किया हैं, शेष सभी के लिए, 'सरकार के कार्यों को पालन करने की शक्ति' या 'राज्य के मामलों का प्रशासन' के रूप में परिभाषित किया जा सकता हैं । इस प्रकार, कार्यपालिका शक्तियों में प्रमुख रूप से नीतिनिर्माण, नीति क्रियान्वयन, व्यवस्था को बनाए रखना, सामाजिक और आर्थिक कल्याण को बढ़ावा देना, विदेश नीति की रूप रेखा तैयार करना, राज्य के सामान्य प्रशासन की देखरेखा करना आदि शामिल हैं ।

राष्ट्रपति की शक्तियों पर संवैधानिक सीमाएँ

अनुच्छेद 74(1) के अनुसार, भारत का राष्ट्रपति अपनी कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद् की सलाह पर करेगा ।

- अनुच्छेद 75(1) स्पष्ट रूप से यह प्रावधान करता हैं कि मंत्रियों (प्रधानमंत्री को छोड़कर) की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाती हैं । यदि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री द्वारा

- राष्ट्रपति भारत की आकस्मिक निधि से, किसी अदृश्य व्यय हेतु अग्रिम भुगतान की व्यवस्था कर सकता हैं।
- **राष्ट्रपति राज्य व केंद्र के मध्य राजस्व के बँटवारें के लिए प्रत्येक पांच वर्ष में एक वित्त आयोग (अनुच्छेद 280 के अधीन) का गठन करता हैं।**

राजनयिक शक्तियाँ

राष्ट्रपति को बाह्य या विदेशी मामलों में व्यापक राजनयिक शक्तियाँ प्राप्त हैं। अन्य देशों के साथ संबंधों को बनाए रखने के उद्देश्य से उन देशों के लिए वह राजदूतों व उच्चायुक्तों की नियुक्ति करता हैं। विदेशी राष्ट्रों के राजनयिक प्रतिनिधियों को भी अपनी पहचान राष्ट्रपति के पास प्रस्तुत करनी होती हैं। **राष्ट्रपति ही अंतर्राष्ट्रीय मामलों व मंचों पर भारत का प्रतिनिधित्व करता हैं। इसके अतिरिक्त सभी अतंर्राष्ट्रीय संधियाँ व समझौंते राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं।** हालाँकि, वे संसद के अनुमोदन के अधीन हैं।

सैन्य शक्तियाँ

- राष्ट्रपति, भारत के सैन्य बलों का सर्वोच्च सेनापति होता हैं। इस क्षमता में **वह थल सेना, वायु सेना और नौसेना के प्रमुखों की नियुक्ति करता हैं।** वह युद्ध के प्रारम्भ या समाप्ति की घोषणा कर सकता हैं हाँलांकि, यह संसद की अनुमति के अधीन हैं।

न्यायिक शक्तियाँ

- राष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सहित अन्य न्यायाधीशों और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता हैं। उच्च न्यायलय के न्यायाधीशों के स्थानान्तरण का अधिकार भी राष्ट्रपति को प्राप्त हैं।
- अनु. 143 के अनुसार, राष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय से कानून या तथ्य के किसी ऐसे प्रश्न, जिसमें राष्ट्रहित या लोकहित से संबंधी व्यापक महत्व का प्रश्न निहित हों, पर सलाह प्राप्त कर सकता हैं। हालाँकि, यह उच्चतम न्यायालय पर निर्भर करता हैं कि वह सलाह दे या न दे तथा दूसरी ओर राष्ट्रपति भी, दिए गए परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं हैं।

क्षमादान की शक्ति

संविधान के अनुच्छेद 72 के अंतर्गत निहित क्षमादान इत्यादि की शक्ति राष्ट्रपति का, देश की जनता द्वारा उनमें विश्वास के रूप में निहत किया गया, एक संवैधानिक कर्तव्य हैं।

1. राष्ट्रपति निम्नलिखित मामलों में किसी भी दोषी व्यक्ति के दंड़ को क्षमा, उसका प्रविलंबन, विराम या परिहार करने की शक्ति रखता हैं -

(क) **ऐसे सभी मामलों में जहाँ दंड कोर्ट मार्शल (सैन्य न्यायालय) द्वार दिया गया हों।**

(ख) **ऐसे सभी मामलों में जहाँ संघ की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार से संबंधित किसी भी कानून के उल्लंघन के विरुद्ध किसी अपराध के लिए दंड़ दिया गया हों।**

(ग) **ऐसे सभी मामलों में जहाँ मृत्युदंड़ दिया गया हों।**

2. **खंड 1 के उपखंड** (क) की कोई बात, संघ के सशस्त्र बलों के किसी अधिकारी की, सैन्य न्यायालय द्वारा पारित दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की, विधि द्वारा प्रदत शक्ति पर प्रभाव नहीं डालेगी।

इन शब्दों के अर्थ को निम्नलिखित रूप में समझा जा सकता हैं:

1. **क्षमा (Pardon)** इसमें दण्ड और बंदीकरण दोनों को हटा दिया जाता हैं और दोषी को सभी दण्ड़, दंड़ादेशों और निरहर्ताओं से मुक्त कर दिया जाता हैं।
2. **प्रविलंबन (Reprieve)**: इसका अर्थ हैं, किसी दंड़ (विशेष रूप से मृत्युदंड़) पर अस्थायी रोक लगाना। इसका उद्देश्य दोषी व्यक्ति को राष्ट्रपति से क्षमायाचना अथवा दंड़ के स्वरूप में परिवर्तन की याचना के लिए अतिरिक्त समय उपलब्ध करवाना हैं।
3. **परिहार (Remission)** इसका अर्थ हैं, दंड़ की प्रकृति में परिवर्तन किए बिना उसकी अवधि को कम करना। उदाहरण के लिए, दो वर्ष के कठोर कारावास की सजा को कम करके एक वर्ष के कठोर कारावास में बदलना।
4. **लघुकरण (Commutation)**: इसका अर्थ हैं, दंड़ के स्वरूप को बदलकर कम करना। उदाहरण के लिए, मृत्यु दंड़ को कठोर कारावास या साधारण कारावास में बदला जा सकता हैं।
5. **विराम (Respite)** : इसका अर्थ हैं कि किसी दोषी को मूल रूप में दिए गए दंड़ को किन्हीं विशेष परिस्थितियों में कम करना जैसे: शारीरिक अपंगता अथवा महिलाओं के गर्भावस्था की अवधि के कारण।

यहाँ यह उल्लेखनीय हैं कि **राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति न्यायपालिका से स्वतंत्र हैं और यह एक कार्यकारी शक्ति हैं। इस शक्ति के प्रयोग के दौरान राष्ट्रपति किसी अपीलीय अदालत के रूप में नहीं बैठते हैं।**

राष्ट्रपति को यह शक्ति दो रूपों में प्रदान की गई हैं:

- कानून के संचालन में किसी भी न्यायिक त्रुटि को ठीक करने के लिए अपने द्वार सदैव खोले रखना।
- किसी ऐसे दंड़ से राहत के लिए जिसे राष्ट्रपति अनावश्यक रूप से कठार समझे।
- न्यायिक समीक्षा के दायरे
- **मारू राम वाद (1980)** में उच्चतम न्यायालय ने यह घोषणा की हैं कि अनु. 72 के तहत राष्ट्रपति की शक्ति न्यायिक समीक्षा के अधीन हैं। इस शक्ति का प्रयोग मनमाने ढंग से नहीं किया जा सकता हैं।
- केहर सिंह वाद (1988) easa उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित पहलुओं पर प्रकाश डाला:

A. 2000 B. 2002

C. 2003 D. 2005

उत्तर – C

4. केन्द्रीय सतर्कता आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन निम्न में से किसे सौंपता है ?

A. संसद B. राष्ट्रपति

C. प्रधानमंत्री D. गृहमंत्री

उत्तर - B

5. किस वर्ष केन्द्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना की गई?

A. 1962 B. 1966

C. 1967 D. 1964

उत्तर - D

6. भारत सरकार ने किसकी अध्यक्षता में भ्रष्टाचार निवारण हेतु एक समिति का गठन किया था ?

A. ए.आयंगर B. पी. वी सुब्बइया

C. के संथानम D. के. हनुमंथैया

उत्तर - C

7. केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त को नियुक्ति करने हेतु जो समिति होती है, निम्न में से कौन उसका सदस्य नहीं होता है?

A. प्रधानमंत्री

B. गृहमंत्री

C. लोकसभा में विपक्ष का नेता

D. राज्यसभा में विपक्ष का नेता

उत्तर- D

8. केन्द्रीय सतर्कता आयोग का निम्न में से कौन सा कार्य मुख्य कार्य है ?

A. देश के अन्वेषण एजेंसियों पर नजर रखना।

B. न्यायालय में लंबित फौजदारी मामलों को निपटाने में सहायता करना।

C. सरकार द्वारा विकास कार्यों के लिए आवंटित धन के उचित उपयोग को सुनिश्चित करने में सहायता करना।

D. एक लोक सेवक पर लगाए गए आरोपों की जांच करना या उसके कारणों की जांच करना।

उत्तर - D

अध्याय – 16

लोकपाल

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

लोकपाल की संस्था **स्कैंडिनेवियाई (डेनमार्क, नॉर्वे और स्वीडन के लिए संदर्भित)** देशों में उत्पन्न हुई। लोकपाल की संस्था **पहली बार स्वीडन में 1713 में अस्तित्व** में आई थी जब एक **"न्याय के चांसलर"** को एक युद्धरत सरकार के कामकाज को देखने के लिए एक पर्यवेक्षक के रूप में कार्य करने के लिए राजा द्वारा नियुक्त किया गया था।

भारत में, लोकपाल को लोकपाल या लोकायुक्त के रूप में जाना जाता है। संवैधानिक लोकपाल की अवधारणा को **पहली बार 1960 के दशक में संसद में तत्कालीन कानून मंत्री अशोक कुमार सेन द्वारा प्रस्तावित किया गया था। लोकपाल और लोकायुक्त शब्द को डॉ एल.एम. सिंघवी ने** जनता की शिकायतों के निवारण के लिए लोकपाल के भारतीय मॉडल के रूप में बनाया गया था, **इसे वर्ष 1968 में लोकसभा में पारित किया गया था, लेकिन यह लोकसभा के विघटन के साथ समाप्त हो गया और तब से लोकसभा में कई बार पतित हो चुकी है ।**

लोकपाल की आवश्यकता

हमारे भ्रष्टाचार-रोधी प्रणालियों में कई कमियां हैं, जिनके कारण भ्रष्टाचारियों के खिलाफ भारी सबूत होने के बावजूद, कोई भी ईमानदार जांच और अभियोजन नहीं होता है और बहुत कम भ्रष्टाचारियों को सजा दी जाती है। पूरा भ्रष्टाचार विरोधी दल भ्रष्टाचारियों की रक्षा करते हैं।

1. **स्वतंत्रता की कमी** हमारी अधिकांश एजेंसियां जैसे CBI, राज्य सतर्कता विभाग, विभिन्न विभागों के आंतरिक सतर्कता विंग, राज्य पुलिस की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा आदि स्वतंत्र नहीं हैं। कई मामलों में, उन्हें उन्हीं लोगों को रिपोर्ट करना होता है जो या तो खुद आरोपी हैं या जिनके आरोपी से प्रभावित होने की संभावना है।

2. **शक्तिहीन कुछ निकाय-** जैसे कि CVC या लोकायुक्त स्वतंत्र हैं, लेकिन उनके पास कोई शक्तियां नहीं हैं। उन्हें सलाहकार निकाय बनाया गया है। वे सरकार को दो तरह की सलाह देते हैं - या तो किसी अधिकारी पर विभागीय दंड लगाना या अदालत में उसका मुकदमा चलाना।

3. **पारदर्शिता और आंतरिक जवाबदेही का अभाव-** इसके अलावा, इन भ्रष्टाचार रोधी एजेंसियों की आंतरिक पारदर्शिता और जवाबदेही की समस्या है। वर्तमान में, यह जांचने के लिए कोई अलग और प्रभावी तंत्र नहीं है कि क्या इन भ्रष्टाचार रोधी एजेंसियों के कर्मचारी भ्रष्ट हैं। इसीलिए, इतनी एजेंसियों के बावजूद, भ्रष्ट लोग शायद ही कभी जेल जाते हैं।

लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013

- **लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013** कुछ सार्वजनिक कार्यकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने और संबंधित मामलों के लिए राज्यों के लिए संघ और लोकायुक्त के लिए लोकपाल की स्थापना का प्रावधान करना चाहता है।
- **यह अधिनियम जम्मू और कश्मीर सहित पूरे भारत में फैला हुआ है और भारत के भीतर और बाहर "लोक सेवकों" पर लागू है।**
- अधिनियम में **राज्यों के लिए संघ और लोकायुक्त के लिए लोकपाल के निर्माण का प्रावधान है।**
- **यह विधेयक 22 दिसंबर 2011 को लोकसभा में** पेश किया गया था और **27 दिसंबर को लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक, 2011 के रूप में सदन द्वारा पारित किया गया था।**
- बाद में इसे 29 दिसंबर को राज्यसभा में पेश किया गया। मैराथन बहस के बाद, समय की कमी के कारण वोट नहीं हो पाया।
- 21 मई 2012 को, इसे विचार के लिए राज्य सभा की प्रवर समिति को भेजा गया। पहले विधेयक और लोकसभा में अगले दिन कुछ संशोधन करने के बाद इसे 17 दिसंबर 2013 को राज्यसभा में पारित किया गया था।
- **इसे 1 जनवरी 2014 को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से स्वीकृति मिली और यह 16 जनवरी 2014से लागू हुआ।**

लोकपाल की संरचना

- लोकपाल की संस्था बिना किसी संवैधानिक समर्थन के एक सांविधिक निकाय है। लोकपाल एक बहुसंख्या निकाय है, **जो एक अध्यक्ष और अधिकतम 8 सदस्यों से मिलकर बना है।**
- जिस व्यक्ति को लोकपाल के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाना है, वह भारत का **पूर्व मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय का पूर्व न्यायाधीश** या त्रुटिहीन और उत्कृष्ट क्षमता वाला एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिए भ्रष्टाचार विरोधी नीति, लोक प्रशासन, सतर्कता, वित्त सहित बीमा और बैंकिंग, कानून और प्रबंधन से संबंधित मामलों में न्यूनतम 25 वर्षों की विशेषज्ञता और विशेष ज्ञान होना चाहिए।
- **अधिकतम आठ सदस्यों में से आधे न्यायिक सदस्य होंगे। न्यूनतम 50% सदस्य SC / ST / OBC / अल्पसंख्यक और महिलाएं होंगे।** लोकपाल का न्यायिक सदस्य या तो **सर्वोच्च न्यायालय का पूर्व न्यायाधीश या उच्च न्यायालय का पूर्व मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए।**
- **न्यायमूर्ति पी.सी. घोष को पहला लोकपाल नियुक्त किया गया**
- **सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष** 19 मार्च, 2019 को अन्य आठ सदस्यों के साथ अपनी नियुक्ति के साथ देश के पहले लोकपाल बने।

लोकपाल का अधिकार – क्षेत्र

- लोकपाल के अधिकार क्षेत्र में **प्रधान मंत्री शामिल होंगे, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष** से संबंधित भ्रष्टाचार के आरोपों को छोड़कर जब तक कि लोकपाल की पूर्ण न्यायपीठ और कम से कम दो-तिहाई सदस्य एक जांच को मंजूरी नहीं देते।
- यह इन-कैमरा में आयोजित किया जाएगा और अगर लोकपाल की इच्छा है, तो जांच के रिकॉर्ड प्रकाशित नहीं किए जाएंगे या किसी को भी उपलब्ध नहीं कराए जाएंगे।
- लोकपाल का **मंत्रियों और सांसदों पर अधिकार क्षेत्र भी होगा**, लेकिन संसद में कही गई बातों या वहां दिए गए वोट के मामले में नहीं।
- **लोकपाल का क्षेत्राधिकार लोक सेवकों की सभी श्रेणियों को कवर करेगा।**
- ग्रुप A, B, C या D अधिकारियों को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत परिभाषित किया गया है, लोकपाल के तहत कवर किया जाएगा, लेकिन जांच के बाद, ग्रुप A और B अधिकारियों के खिलाफ कोई भी भ्रष्टाचार शिकायत लोकपाल के पास आ जाएगी। हालांकि, ग्रुप C और D अधिकारियों के मामले में, मुख्य सतर्कता आयुक्त लोकपाल की जांच करेंगे और रिपोर्ट करेंगे। हालाँकि, यह ईमानदार और ईमानदार लोक सेवकों के लिए पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करता है।

लोकपाल की शक्तियाँ

1. इसमें अधीक्षण के अधिकार, और CBI को दिशा देने की शक्तियाँ हैं।
2. यदि इसने CBI को एक मामला भेजा है, तो ऐसे मामले में जांच अधिकारी को लोकपाल की मंजूरी के बिना स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है।
3. ऐसे मामले से जुड़े तलाशी और जब्ती अभियान के लिए CBI को अधिकृत करने की शक्तियां।
4. लोकपाल के पूछताछ विंग को एक सिविल कोर्ट की शक्तियों के साथ निहित किया गया है।
5. लोकपाल के पास विशेष परिस्थितियों में भ्रष्टाचार के माध्यम से उत्पन्न या प्राप्त संपत्ति, आय, प्राप्तियां और लाभ जब्त करने की शक्तियां हैं
6. लोकपाल में भ्रष्टाचार के आरोप से जुड़े लोक सेवक के स्थानांतरण या निलंबन की सिफारिश करने की शक्ति है।
7. लोकपाल के पास प्रारंभिक जांच के दौरान रिकॉर्ड को नष्ट करने से रोकने के लिए निर्देश देने की शक्ति है।

निष्कर्ष

लोकपाल की संस्था भारतीय राजनीति के इतिहास में एक ऐतिहासिक कदम रही है, लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 ने भ्रष्टाचार के कभी न खत्म होने वाले

खतरे का मुकाबला करने के लिए एक उत्पादक समाधान की पेशकश की है।

सारांश

- लोकपाल की संस्था स्कैंडनेवियाई (डेनमार्क, नार्वे और स्वीडन के लिए संदर्भित) देशों में उत्पन्न हुई। लोकपाल की संस्था पहली बार स्वीडन में 1713 में अस्तित्व में आई थी।
- भारतीय प्रशासनिक सुधार आयोग (1966 -70) की सिफारिश पर नागरिकों की समस्याओं के समाधान हेतु दो विशेष प्राधिकारियों लोकपाल व लोकायुक्त की नियुक्ति की गई।
- लोकपाल मंत्रियों, केन्द्र तथा राज्य स्तर के सचिवों से संबंधित शिकायतों को देखता है और लोकायुक्त (एक केन्द्र में व एक प्रत्येक राज्य में) विशेष उच्च अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतों को देखता है।
- प्रशासनिक सुधार आयोग के अनुसार, राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश लोकसभा अध्यक्ष व राज्यसभा के सभापति की सलाह पर लोकपाल की नियुक्ति करता है।
- लोकपाल का एक अध्यक्ष होगा तथा अधिकतम 8 सदस्य होंगे जिसमें 50% सदस्य न्यायिक सेवा के होंगे।
- लोकपाल के 50 % सदस्य अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक तथा महिलाओं के बीच से होंगे।
- लोकपाल तथा लोकायुक्त एक्ट 2013 के कानूनी रूप मिलने के बहुत पहले कई राज्यों ने अपने राज्य में लोकायुक्त नियुक्त कर रखे थे।
- एक चयन समिति जिसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा में विपक्ष का नेता, भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा नामित सर्वोच्च न्यायालय का कार्यरत न्यायाधीश और कोई प्रतिष्ठित न्यायवेता जो राष्ट्रपति द्वारा चयन समिति के चार सदस्यों की अनुशंसा पर नामित होंगे, वे सब लोकसभा का अध्यक्ष तथा इसके सदस्यों का चयन करेंगे।

अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न

1. ओंबड्समैन सबसे पहले किस देश में प्रारंभ हुआ ?

A. न्यूजीलैंड　　B नार्वे
C. फिनलैंड　　D स्वीडन

उत्तर - D

2. निम्न में से किस समिति ने लोकपाल एवं लोकायुक्त संस्थाओं की स्थापना की सिफारिश की थी ?

A. गोरवाला समिति
B. एपेल्वी समिति
C. प्रशासनिक सुधार आयोग
D. अशोक मेहता समिति

उत्तर - C

3. वर्तमान में भारत में लोगों की शिकायतें सुनने के लिए जो संस्थाएं हैं उनमें शामिल हैं ?

A. सर्वोच्च न्यायालय एवं लोकपाल
B. लोकपाल एवं लोकायुक्त
C. लोकायुक्त एवं सर्वोच्च न्यायालय
D. प्रशासनिक अधिकरण एवं लोकपाल

उत्तर - C

4. सबसे पहले लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम किस राज्य में पारित किया गया ?

A. महाराष्ट्र　　B. पश्चिमी बंगाल
C. कर्नाटक　　D. ओडिशा

उत्तर - D

5. प्रशासनिक सुधार आयोग (1966) ने निम्न में से किन देशों के समान (भारत में लोकपाल) की स्थापना का सुझाव दिया था ?

A. फिनलैंड　　B. डेनमार्क
C. नार्वे　　D. स्विट्जरलैंड

नीचे दिए गए कुटों से सही उत्तर का चयन कीजिए

A. 1, 2, एवं 4　　B. 1 एवं 2
C. 1, 2 एवं 3　　D. 3 एवं 4

उत्तर - C

6. भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त का कार्यालय निम्नलिखित में से किस के अनुरूप अथवा किस पर आधारित है ?

A. यू. के का पार्लामेंट्री कमिश्नर
B. स्कैंडोनिवया का ओंबड्समैन
C. रूस का प्रोक्यूरेटर जेनरल
D. फ्रांस का क्राऊंसिल ऑफ स्टेट

उत्तर - B

अध्याय – 3

मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद्

- मुख्यमंत्री किसी राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है । वह राज्य विधानसभा का नेता होता है । राज्य की सर्वोच्च कार्यपालिका शक्ति मुख्यमंत्री के हाथों में है । वह राज्य का वास्तविक शासक/तथ्यत प्रमुख / डी-फैक्टो हेड होता है ।
- मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा संविधान के **अनुच्छेद 164 (1)** के तहत की जाती है ।
- सामान्यत , राज्यपाल बहुमत प्राप्त दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है । लेकिन यदि चुनावों में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हुआ है , उस स्थिति में राज्यपाल स्वविवेक से मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। उसे एक माह के भीतर सदन में विश्वास मत प्राप्त करने के लिए कहता है । राज्यपाल स्वविवेक द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति ऐसे समय पर करता है जब कार्यकाल के दौरान किसी मुख्यमंत्री की मृत्यु हो जाए और कोई उत्तराधिकारी तय नहीं हो या चुनावों में किसी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हुआ हो ।

NOTE- केन्द्र शासित प्रदेशों में (जहाँ विधानसभा है) मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति , राष्ट्रपति करता है । वर्तमान में भारत के तीन केन्द्र शासित प्रदेशों क्रमशः पुदुच्चेरी, दिल्ली और जम्मू- कश्मीर में विधानसभाओं का प्रावधान है ।

- **अनुच्छेद 164 (3)** मुख्यमंत्री व मंत्रियों को शपथ राज्यपाल दिलाता है । राज्य का मुख्यमंत्री कार्यग्रहण से पूर्व राज्यपाल के समक्ष पद व गोपनीयता की शपथ ग्रहण करता है। मुख्यमंत्री व मंत्रियों की शपथ का प्रारूप **भारतीय संविधान की अनुसूची 3** में मिलता है ।

अनुच्छेद 164 (4) मुख्यमंत्री एवं मंत्रियों की योग्यता भारतीय संविधान में मुख्यमंत्री पद के लिए योग्यताएँ आवश्यक है जो एक मंत्री पद के लिए होती है । जैसे– (1) न्यूनतम आयु 25 वर्ष हो । (2) राज्य विधानमण्डल के दोनों में से किसी एक सदन का सदस्य हो ।

NOTE- यदि मुख्यमंत्री विधानमण्डल के किसी भी सदन का सदस्य न भी हो तो 6 माह तक मुख्यमंत्री रह सकता है । 6 माह के भीतर उसे विधानमण्डल के किसी एक सदन की सदस्यता ग्रहण करनी पड़ती है अन्यथा त्यागपत्र देना पड़ता है । मुख्यमंत्री सामान्यतः विधानमण्डल के निम्न सदन (विधान सभा) का सदस्य होता है, लेकिन उच्च सदन (विधान परिषद्) के सदस्य को भी मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है यदि उस राज्य में द्विसदनात्मक विधान मण्डल है तो ।

NOTE- यदि मुख्यमंत्री विधानपरिषद् का सदस्य है तो वह

(i) राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकता।

(ii) वह अविश्वास प्रस्ताव पर वोट नहीं कर सकता है क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव विधानसभा में लाया जाता है ।

- **अनुच्छेद 164 (5)** मुख्यमंत्री के वेतन एवं भत्तों व कार्यकाल

मुख्यमंत्री के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण राज्य विधानमण्डल द्वारा किया जाता है । वर्तमान में राजस्थान के मुख्यमंत्री को 75,000 रु प्रतिमाह वेतन मिलता है । (1 अप्रेल , 2019 के बाद) स्मरणीय तथ्य : मुख्यमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष होता है , परन्तु वह राज्यपाल के प्रसादपर्यंत अपने पद पर बना रहता है । अर्थात जब तक कि उसका विधानसभा में बहुमत है । लेकिन यदि मुख्यमंत्री विधानसभा में अपना बहुमत खो देता है तो उसे त्यागपत्र दे देना चाहिए अन्यथा राज्यपाल उसे बर्खास्त कर सकता है । मुख्यमंत्री अपना त्यागपत्र राज्यपाल को देता है । और मुख्यमंत्री का त्यागपत्र समस्त मंत्रिपरिषद् का त्यागपत्र माना जाता है ।

अनुच्छेद 164 (2) - राज्य की मंत्रिपरिषद् सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है ।

मुख्यमंत्री के कार्य एवं शक्तियाँ

मंत्रिपरिषद् के संबंध में

- मुख्यमंत्री की सलाह से राज्यपाल द्वारा मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है ।
- मुख्यमंत्री , मंत्रियों के मध्य विभागों का बंटवारा करता है और उनमें फेरबदल भी करता है । मतभेद होने पर वह किसी भी मंत्री को त्यागपत्र देने के लिए कह सकता है या राज्यपाल को उसे बर्खास्त करने का परामर्श दे सकता है।
- मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद् एवं मंत्रिमण्डल की बैठकों की अध्यक्षता करता है ।

NOTE- मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में सबसे वरिष्ठ मंत्री मंत्रिमण्डल की अध्यक्षता करता है ।

- वह सभी मंत्रियों को उनके कार्यों में परामर्श देता है तथा उनके कार्यों पर नियंत्रण भी रखता है ।
- मुख्यमंत्री , राज्यपाल और मंत्रिपरिषद् के बीच की कड़ी के रूप में कार्य करता है ।

अनुच्छेद 164 (1) क - इस अनुच्छेद को 91 वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा जोड़ा गया । इसमें राज्य मंत्रिपरिषद् का आकार निश्चित किया गया। राज्य मंत्रिपरिषद् में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम मंत्री उस राज्य की कुल विधानसभा सीटों का 15 % तथा मुख्यमंत्री सहित न्यूनतम मंत्री 12 होंगे ।

राज्यपाल के संदर्भ में

अनुच्छेद 167- इसमें मुख्यमंत्री के संवैधानिक कर्त्तव्यों का उल्लेख मिलता है ।

(i) वह मंत्रिपरिषद् द्वारा राज्य के प्रशासन से संबंधित मामलों के लिए सभी निर्णयों तथा विधायन के प्रस्तावों के बारे में राज्यपाल को सूचित करें।

(ii) राज्यपाल द्वारा राज्य के प्रशासन से संबंधित मामलों अथवा विधायन प्रस्तावों के बारे में माँगे जाने पर सूचना प्रदान करना।

(iii) यदि राज्यपाल चाहे तो मंत्रिपरिषद् के समक्ष किसी ऐसे मामले को विचारार्थ रखे जिस पर निर्णय तो किसी मंत्री द्वारा लिया जाना है लेकिन जिस पर मंत्रिपरिषद् विचार नहीं किया है ।

NOTE- राज्य की प्रमुख संवैधानिक संस्था जैसेः- राज्य के महाधिवक्ता (अनुच्छेद-165), राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों (अनुच्छेद 243 I-पंचायतीराज, अनुच्छेद 243 Y- नगर निकायों के लिए) तथा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों (अनुच्छेद-316) राज्य निर्वाचन आयुक्त (अनुच्छेद 243 K- पंचायतीराज व अनुच्छेद 243 ZA- नगर निकायों के लिए) की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह (विशेषतया मुख्यमंत्री) की जाती है।

NOTE-राज्य के प्रमुख सांविधिक/ वैधानिक निकायों जैसेः- राजस्थान मानवाधिकार आयोग, राजस्थान सुचना आयोग के अध्यक्षों व सदस्यों तथा लोकायुक्त संस्था के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक चयन समिति की सिफारिश पर की जाती है जिसका अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता।

NOTE-राजस्थान महिला आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्य सरकार (मुख्यमंत्री) द्वारा की जाती है।

राज्य विधानमण्डल के संबंध में

- मुख्यमंत्री , राज्यपाल को किसी भी समय विधानसभा विघटित करने की सिफारिश कर सकता है ।
- मुख्यमंत्री ही राज्य विधानसभा के पटल पर सरकार की नीतियों की घोषणा करता है ।
- मुख्यमंत्री , राज्यपाल को सत्राहूत व सत्रावसान के संबंध में सलाह देता है ।

मुख्यमंत्री के अन्य कार्य

- राज्य आयोजना बोर्ड के अध्यक्ष होते हैं ।
- अंतर्राज्यीय परिषद (अनुच्छेद 263) के सदस्य होते हैं।
- राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य होते हैं ।
- नीति आयोग के सदस्य होते हैं ।
- वह संबंधित क्षेत्रीय परिषदों के क्रमवार उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं तथा एक समय में इनका कार्यकाल। वर्ष का होता है ।
- मुख्यमंत्री राज्य सरकार का मुख्य प्रवक्ता तथा आपातकाल के समय वह राजनीतिक स्तर पर मुख्य प्रबंधक होता है ।

राजस्थान में मुख्यमंत्री

पं. हीरालाल शास्त्री

- 30 मार्च, 1949 को राजस्थान के एकीकरण के चतुर्थ चरण के समय जब 14 देशी रियासतों का विलय कर वृहद राजस्थान संघ का निर्माण किया गया तब जयपुर रियासत के पूर्व प्रधानमंत्री पं. हीरालाल शास्त्री को 30 मार्च, 1949 को ही नये राज्य का प्रधानमंत्री मनोनीत किया गया ।
- उन्होंने राजस्थान के प्रधानमंत्री के तौर पर 5 जनवरी, 1951 तक कार्य किया । देश में 26 जनवरी, 1950 को संविधान के लागू होने के बाद प्रधानमंत्री पद का नाम बदल कर मुख्यमंत्री कर दिया गया ।
- हीरालाल शास्त्री राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री रहे ।
- हीरालाल शास्त्री के समय 30 मार्च , 1949 को राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत की गई ।
- हीरालाल शास्त्री एक बार लोकसभा सांसद भी रहे ।

सी.एस. वैंकटाचार्य (कदांबी शेषाटार वैंकटाचार्य)

- हीरालाल शास्त्री को लेकर मतभेद पैदा हो गया और अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से उन्हें पद से हटा दिया गया । उनकी एवज में आई.सी.एस. अधिकारी श्री सी.एस. वैंकटाचारी को मुख्यमंत्री का कार्यभार दे दिया गया ।
- राजस्थान के दूसरे मनोनीत मुख्यमंत्री (6 जनवरी, 1951 से 25 अप्रैल, 1951) बने ।
- सी.एस. वैंकटाचार्य रियासती काल में बीकानेर व जोधपुर के प्रधानमंत्री भी रहे ।

जय नारायण व्यास

- राजस्थान के एकमात्र मुख्यमंत्री जो कि मनोनीत (26 अप्रैल, 1951 से 3 मार्च, 1952) व निर्वाचित (1 नवम्बर, 1952 से 13 नवम्बर, 1954) दोनों रहे ।
- प्रथम विधानसभा चुनाव में दो सीटों (जोधपुर शहर - बी व जालौर - ए) से चुनाव लड़ा , लेकिन दोनों सीटों से हार गये । लेकिन बाद में किशनगढ़ सीट से चांदमल मेहता को इस्तीफा दिलवाकर सीट खाली की तथा उपचुनाव जीतकर राजस्थान के दूसरे निर्वाचित मुख्यमंत्री बने ।
- जयनारायण व्यास एक बार राज्य सभा सांसद भी रहे ।
- जयनारायण व्यास , मुख्यमंत्री बनने के पूर्व किसी भी मंत्रिपरिषद् में मंत्री नहीं रहे ।

NOTE- राजस्थान में तीन मनोनीत मुख्यमंत्री बने (1) हीरालाल शास्त्री (2) सी.एस. वैंकटाचार्य (3) जयनारायण व्यास

अनुच्छेद 164 (3) राज्यपाल कार्यभार ग्रहण करने से पहले मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं । (अनुसूची -3 के प्रारूप के अनुसार)

अनुच्छेद 164 (2) स्पष्ट करता है कि मंत्रिपरिषद् का सामूहिक उत्तरदायित्व विधानसभा के प्रति होगा ।

अनुच्छेद 164 (4) मंत्रियों की योग्यता

(1) न्यूनतम आयु 25 वर्ष हो । (2) राज्य विधानमण्डल के दोनों में से किसी एक सदन का सदस्य हो ।

NOTE-कोई व्यक्ति यदि विधानमंडल का सदस्य नहीं भी है तो उसे मंत्री नियुक्त किया जा सकता है लेकिन 6 महीने के अंदर उसका सदस्य बनना अनिवार्य है अन्यथा उसका मंत्री पद समाप्त हो जाएगा । मंत्री अपना त्यागपत्र राज्यपाल को देता है ।

अनुच्छेद 164 (5) मंत्रियों के वेतन एवं भत्ते राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित किए जाते हैं।

अनुच्छेद 166 के तहत् राज्य के समस्त कार्य राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं।

अनुच्छेद 177 में यह उल्लिखित है कि मंत्री चाहे किसी भी सदन का सदस्य हो वह दोनों सदनों की बैठकों में भाग ले सकता है । लेकिन मत उसी सदन में देगा जिस सदन का वह सदस्य है ।

मंत्रिपरिषद् का गठन

मंत्रिपरिषद् में तीन प्रकार के मंत्री होते हैं- कैबिनेट मंत्री , राज्य मंत्री व उपमंत्री ।

1. कैबिनेट मंत्री :- यह मंत्रिपरिषद् का छोटा - सा भाग होता है । यह सभी अपने - अपने विभागों के मुखिया होते हैं । इनके पास राज्य के महत्त्वपूर्ण विभाग गृह , वित्त कृषि, उद्योग आदि होते हैं ।

2. राज्यमंत्री :- राज्य मंत्रियों को या तो स्वतंत्र प्रभार दिया जाता है या उन्हें कैबिनेट मंत्रियों के साथ संबद्ध किया जा सकता है ।

3. उपमंत्री :- इन्हें स्वतंत्र प्रभार नहीं दिया जाता है ।

NOTE :- मंत्रियों की एक और श्रेणी भी है , जिन्हें संसदीय सचिव कहा जाता है । वे वरिष्ठ मंत्रियों के साथ उनके संसदीय कार्यों में सहायता के लिए नियुक्त होते हैं । इनकी नियुक्ति मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है । इनकी संख्या निश्चित नहीं होती है , इन्हें राज्यमंत्री का दर्जा प्राप्त होता है । यह मंत्रिपरिषद् के सदस्य नहीं होते हैं । मुख्यमंत्री इन्हें शपथ दिलाते हैं । यह मुख्यमंत्री के प्रति उत्तरदायी होते हैं । मुख्यमंत्री इन्हें कभी भी बर्खास्त कर सकते हैं ।

NOTE :- राजस्थान में संसदीय सचिव का पद लाभ के पद के दायरे में नहीं आता है । राजस्थान में पहली बार वर्ष 1967 में मोहनलाल सुखाड़िया के समय संसदीय सचिवों को नियुक्त किया गया ।

" मंत्रालय " शब्द केन्द्र के लिए प्रयोग होता न कि राज्यों के लिए अर्थात् राज्य सरकार विभागों में बटा होता है ।

मंत्रिपरिषद्	मंत्रिमण्डल
मंत्रिपरिषद् का आकार बड़ा होता	मंत्रीमण्डल मंत्रिमण्डल का आकार छोटा होता है ।
मंत्रिपरिषद् में कैबिनेट , राज्यमंत्री व उपमंत्री स्तर के मंत्री होते हैं ।	मंत्रिमण्डल में केवल कैबिनेट स्तर के मंत्री ही होते हैं ।
मंत्रिपरिषद् मंत्रिमण्डल के निर्णयों को लागू करती है ।	यह मंत्रिपरिषद् द्वारा अपने निर्णयों के अनुपालन की देखरेख करती है ।
यह सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है ।	यह मंत्रिपरिषद् की विधानसभा के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी को लागू करती है ।

मंत्रियों के उत्तरदायित्व

मंत्रियों के उत्तरदायित्व	
सामूहिक उत्तरदायित्व	**अनुच्छेद 164 (2) स्पष्ट करता है** कि मंत्रिपरिषद् का सामूहिक उत्तरदायित्व विधानसभा के प्रति होगा । यदि विधानसभा द्वारा मंत्रिपरिषद् के ख़िलाफ़ अविश्वास प्रस्ताव पारित किया जाता है तो पूरी मंत्रिपरिषद् को त्यागपत्र देना पड़ता है ।
व्यक्तिगत उत्तरदायित्व	मंत्री राज्यपाल के प्रसादपर्यंत कार्य करते हैं एवं राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पर इनकी नियुक्ति होती है । मुख्यमंत्री से मतभेद की स्थिति में मुख्यमंत्री की सलाह पर संबंधित मंत्री को राज्यपाल बर्खास्त कर सकता है । **अनुच्छेद 164 (1) के तहत** राज्य स्तर पर मंत्रियों का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व राज्यपाल के प्रति है ।
विधिक उत्तरदायित्व	कोई विधिक उत्तरदायित्व नहीं है ।

मंत्रिपरिषद् के प्रमुख कार्य-

- मंत्रिपरिषद् राज्य के प्रशासन के संचालन के लिये विभिन्न नीतियों का निर्माण करती है ।
- मंत्रिपरिषद् राज्य की राजनीतिक , आर्थिक एवं सामाजिक समस्याओं के लिये विकासकारी योजनाएँ बनाती है ।
- मंत्रिपरिषद् विधि निर्माण के क्षेत्र में विधानमंडल का नेतृत्व करती है ।

- उपर्युक्त चार वित्तीय समितियों के अलावा, राजस्थान विधान सभा ने अन्य 17 स्थायी समितियों का गठन किया गया है।

1. अधीनस्थ कानूनों पर समिति
2. अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति
3. अनुसूचित जातियों के कल्याण संबंधी समिति
4. व्यापार सलाहकार समिति
5. आवास समिति
6. नियम समिति
7. पुस्तकालय समिति
8. याचिका ओंपर समिति
9. विशेषाधिकारों की समिति
10. सरकारी आश्वासन संबंधी समिति
11. सामान्य प्रयोजन समिति
12. प्रश्न एवं संदर्भ समिति
13. महिला एवं बच्चों के कल्याण संबंधी समिति
14. पिछड़ा वर्ग के कल्याण संबंधी समिति
15. अल्पसंख्यकों के कल्याण संबंधी समिति
16. स्थानीय निकायों-पंचायत राजसंस्थानों की समिति
17. पर्यावरण पर समिति

- सदन में आम तौर पर सत्तारूढ़ और विपक्षी दलों के सदस्यों से ये समितियां गठित की जाती हैं।
- समिति के सदस्यों का कार्यालय आम तौर पर एक वर्ष होता है।
- सरकार के बिलों पर चयन समितियों के मामले के अलावा कोई मंत्री समिति का सदस्य नहीं हो सकता है।
- जहां तक बिजनेस एडवाइज रीकमेटी का संबंध है ,सदन के नेता के मामले में यह प्रावधान लागू नहीं होता है , जो मुख्यमंत्री होता है।
- आमतौर पर , इन समितियों की रिपोर्ट समितियों के अध्यक्ष द्वारा सदन में प्रस्तुत की जाती है , लेकिन अंतर सत्र में अध्यक्ष विधानसभा अध्यक्ष को रिपोर्ट प्रस्तत कर सकते हैं।
- इन रिपोर्टों को (विशेषाधिकार समिति और बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट को छोड़कर) आमतौर पर सदन में नहीं उठाया जाता है।

राजस्थान विधान सभा भवन

- वर्ष 1952 से 2000 तक सवाईमान सिंह टाउनहॉल राजस्थान विधानसभा के लिए उपयोग किया जा रहा था।
- 11वीं विधानसभा के 5वां सत्र यहां का अंतिम सत्र था , जो 6 नवंबर, 2000 को सवाई मान सिंह टाउन हॉल में आयोजित किया गया था।
- राजस्थान विधानसभा की नई इमारत भारत में सबसे आधुनिक विधानमंडल परिसरों में से एक है।
- यह इमारत ज्योति नगर, जयपुर में एक विशाल 16.96 एकड़ परिसर में स्थित है ।इस परियोजना पर काम नवंबर, 1994 में शुरू हुआ और मार्च 2001 में पूरा हुआ।
- भवन का बाहरी भाग राजस्थान की प्रसिद्ध परंपरागत स्थापत्य का शानदार नमूना है।
- जोधपुर और बंसी पहाड़ पत्थर के उपयोग से इस इमारत का निर्माण किया गया है।
- बिल्डिंग 145 फीट की ऊँचाई और 6.08 लाख वर्ग मीटर के क्षेत्र वाली आठ मंजिला फ्रेम संरचना है।
- मुख्य गुंबद 104 फीट की व्यास का है। विधानसभा में 260 सदस्यों के बैठने की क्षमता है।

राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष

क्र.	विधानसभा अध्यक्ष	कार्यकाल
1.	श्री नरोत्तम लाल जोशी	31.03.1952 से 25.04.1957
2.	श्री रामनिवास मिर्धा	25.04.1957 से 03.05.1967
3.	श्री निरंजन नाथ आचार्य	03.05.1967 से 20.03.1972
4.	श्री रामकिशोर व्यास	20.03.1972 से 18.07.1977
5.	श्री लक्ष्मणसिंह	18.07.1977 से 20.06.1979
6.	श्री गोपालसिंह	25.09.1979 से 07.07.1980
7.	श्री पूनमचंद विश्नोई	07.07.1980 से 20.03.1985
8.	श्री हीरालाल देवपुरा	20.03.1985 से 16.10.1985
9.	श्री गिरिराजप्रसाद तिवारी	31.01.1986 से 11.03.1990
10.	श्री हरिशंकर भाभड़ा	16.03.1990 से 21.12.1993 30.12.1993 से 05.10.1994
11.	श्री शांतिलाल चपलोत	07.04.1995 से 18.03.1998
12.	श्री समरथलाल मीणा	24.07.1998 से 04.01.1999

13.	श्री परसराम मदेरणा	06.01.1999 से 15.01.2004
14.	श्रीमती सुमित्रासिंह	16.01.2004 से 01.01.2009
15.	श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत	02.01.2009 से 20.01.2014
16.	श्री कैलाश मेघवाल	22.01.2014 से 15.01.2019
17.	श्री सी.पी. जोशी	16.01.2019 से लगातार

अभ्यास प्रश्न

1. विधानसभा अध्यक्ष होता है-

A. नियुक्त B. चयनित
C. निर्वाचित D. मनोनीत

उत्तर (B)

2. विधानसभा के सत्रावसान के आदेश किसके द्वारा दिए जाते हैं ?

A. राज्यपाल B. मुख्यमंत्री
C. विधानसभा अध्यक्ष D. विधानपरिषद के सभा

उत्तर (A)

3. विधानसभा का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है ?

A. 168 B. 169
C. 170 D. 165

उत्तर (C)

4. विधानमंडल का उल्लेख संविधान में वर्णित है-

A. भाग-4, अनुच्छेद : 168-218
B. भाग-6, अनुच्छेद : 168-212
C. भाग-8, अनुच्छेद :169-211
D. भाग-11, अनुच्छेद :167-213

उत्तर (B)

5. भारत के किस राज्य में अब तक विधान परिषद नहीं बनी है यद्यपि संविधान द्वारा सातवें संशोधन अधिनियम 1956 में उसके लिए उपबंध है ?

A. महाराष्ट्र B. बिहार
C. कर्नाटक D. मध्य प्रदेश

उत्तर (D)

6. राजस्थान में प्रथम विधानसभा कब गठित हुई?

A. 26 अप्रैल, 1952
B. 26 जुलाई, 1952
C. 29 अप्रैल, 1952
D. 29 फ़रवरी,1952

उत्तर (D)

7. निम्नलिखित में से किस विधायी सदन को समाप्त किया जा सकता है ?(RAS. Pre. 2016)

A. लोक सभा B. राज्य सभा
C. विधान परिषद् D. विधान सभा

उत्तर (C)

8. निम्न में से कौनसा असत्य कथन है ?

A. राज्यपाल विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है।
B. विधानपरिषद् का सृजन व समापन संसद करती है
C. किसी राज्य की विधानसभा में न्यूनतम 40 तथा अधिकतम 550 सीटें हो सकती है ।
D. राजस्थान के सर्वाधिक कार्यकाल वाले विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास मिर्धा

उत्तर (D)

9. किस विधानसभा चुनाव में राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या 184 से बढ़ाकर 200 की गई ?

A. चौथी B. छठी
C. पाँचवीं D. साँतवी

उत्तर (B)

10. निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सत्य है?

A. राजस्थान से लोकसभा व राज्यसभा में क्रमशः 10 व 25 सदस्य हैं ।
B. राजस्थान में विधानपरिषद् के कुल सदस्यों की संख्या 200 हैं ।
C. लोकसभा में राजस्थान से अनुसूचित जाति की 4 सीटें एवं अनुसूचित जनजाति की 3 सीटें आरक्षित है ।
D. उपर्युक्त सभी **(C)**

INFUSION NOTES
WHEN ONLY THE BEST WILL DO

प्रिय दोस्तों, अब तक हमारे नोट्स में से अन्य परीक्षाओं में आये हुए प्रश्नों के परिणाम देखने के लिए क्लिक करें -

RAS PRE. - https://www.youtube.com/watch?v=p3_i-3qfDy8&t=1253s

Rajasthan CET Gradu. Level - https://youtu.be/gPqDNlc6URO

Rajasthan CET 12th Level - https://youtu.be/oCa-CoTFu4A

RPSC EO / RO - https://youtu.be/b9PKj14nSxE

VDO PRE. - https://www.youtube.com/watch?v=gXdAk856W18&t=202s

Patwari - https://www.youtube.com/watch?v=X6mKGdtXyu4&t=2s

PTI 3rd grade - https://www.youtube.com/watch?v=iA_MemKKgEk&t=5s

SSC GD - 2021 - https://youtu.be/2gzzfJyt6vI

EXAM (परीक्षा)	DATE	हमारे नोट्स में से आये हुए प्रश्नों की संख्या
RAS PRE. 2021	27 अक्तूबर	74 प्रश्न आये
SSC GD 2021	16 नवम्बर	68 (100 में से)
SSC GD 2021	08 दिसम्बर	67 (100 में से)
RPSC EO/RO	14 मई (1st Shift)	95 (120 में से)
राजस्थान S.I. 2021	14 सितम्बर	119 (200 में से)
राजस्थान S.I. 2021	15 सितम्बर	126 (200 में से)
RAJASTHAN PATWARI 2021	23 अक्तूबर (1st शिफ्ट)	79 (150 में से)

FREE SAMPLE

INFUSION NOTES
WHEN ONLY THE BEST WILL DO

RAJASTHAN PATWARI 2021	23 अक्तूबर (2nd शिफ्ट)	103 (150 में से)
RAJASTHAN PATWARI 2021	24 अक्तूबर (2nd शिफ्ट)	91 (150 में से)
RAJASTHAN VDO 2021	27 दिसंबर (1st शिफ्ट)	59 (100 में से)
RAJASTHAN VDO 2021	27 दिसंबर (2nd शिफ्ट)	61 (100 में से)
RAJASTHAN VDO 2021	28 दिसंबर (2nd शिफ्ट)	57 (100 में से)
U.P. SI 2021	14 नवम्बर 2021 1st शिफ्ट	91 (160 में से)
U.P. SI 2021	21नवम्बर2021 (1st शिफ्ट)	89 (160 में से)
Raj. CET Graduation level	07 January 2023 (1st शिफ्ट)	96 (150 में से)
Raj. CET 12th level	04 February 2023 (1st शिफ्ट)	98 (150 में से)

& Many More Exams like UPSC, SSC, Bank Etc.

नोट्स खरीदने के लिए इन लिंक पर क्लिक करें

Whatsapp करें – https://wa.link/0yupe6

Online order करें – https://shorturl.at/pwFNP

Call करें – 9887809083

FREE SAMPLE

INFUSION NOTES
WHEN ONLY THE BEST WILL DO